संख्या-I/294283/XIII–3/25/10(11)/2023

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 02 मई, 2025।

विषयः राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना (राज्य सेक्टर) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2030/SUFAL/2024–25, दिनांकः 20.12.2024 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना (राज्य सेक्टर)–2025 को संलग्नक–01 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्रस्तावित नीति का लाभ दिया जायेगा तथा एक परिवार को एक ही बार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

2. विभाग द्वारा योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं मध्यावधि समीक्षा/मूल्यांकन कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित ई संख्या–I/293631/2025, दिनांकः 30 अप्रैल, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Anand Srivastava
Date: 01-05-2025 19:12:06
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section 3-SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
7. कुलपति, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी, विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
8. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, चमोली।
14. निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, ऊधमसिंहनगर।
15. निदेशक, उत्तराखण्ड, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून।
18. निदेशक, कैप, सेलाकुई, देहरादून।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून।
20. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्, देहरादून।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद्, देहरादून।
22. निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून।
23. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0, हल्दी, ऊधमसिंह नगर।
24. उप सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार–द्वारा निदेशक, उद्यान।
26. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
27. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
28. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Mahima
Date: 02-05-2025 10:37:28

(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section 3-SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02-05-2025 12:32 PM

"संलग्नक–01"

राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना (राज्य–सेक्टर)–2025

1. प्रस्तावना :

अधिकांश औद्यानिक फसलों की प्रवृत्ति शीघ्र नष्ट (Perishable Nature) होने की होती है, जिसमें सेब मुख्य है। तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु उपयुक्त अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण कुछ उत्पाद तुड़ाई उपरान्त नष्ट हो जाता है। सेब के 'ए' एवं 'बी' ग्रेड फलों का उचित भण्डारण, ग्रेडिंग, पैंकिंग एवं समयान्तर्गत उचित ढुलान की व्यवस्था करते हुए कृषकों को उनके उत्पाद का मूल्य प्रदान कराया जा सकता है। राज्य के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं अवसंरचना (ग्रेडिंग, पैंकिंग केन्द्र, सी0ए0 स्टोरेज, रोपवे) स्थापना की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार का राज्य में सेब उत्पादन के वर्तमान स्तर को सेब की अति सघन बागवानी योजना के माध्यम से कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य है, इसके द्वारा सेब की वेल्यू चैन में चुनौतियों का समाधान एवं एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे सेब उत्पादकों को लाभ और सेब के उत्तराखण्ड ब्रांड को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।

2. उद्देश्य :

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं औद्यानिक जलवायु सेब के उत्पादन हेतु अनुकूल है। राज्य में उत्तरकाशी, देहरादून का चकराता क्षेत्र, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल आदि में प्रमुखतः सेब उत्पादन किया जा रहा है, परन्तु भण्डारण अवसंरचना की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों की फसल का उचित भण्डारण नहीं हो पाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेब उत्पादक क्षेत्रों में भण्डारण अवसंरचना यथाः सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाई, Control Atmosphere Cold Storage (CA Storage) एवं रोपवे जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

(i) सेब के तुड़ाई उपरान्त एकत्रीकरण एवं भण्डारण अवसंरचना का विकास।

(ii) कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना।

(iii) स्थानीय कृषकों/उद्यमियों को रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना।

(iv) निर्मित पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग, अन्य फसलों के लिये भी वर्षभर किया जा सकेगा।

3. नाम :

"राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना (राज्य–सेक्टर)" है।

4. योजना–अवधि :

योजना का संचालन वर्ष 2025–26 से 2031–32 तक किया जायेगा।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section 3-SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM

5. <u>योजना के घटक</u> :

5.1. <u>सार्टिंग–ग्रेडिंग इकाई</u> :

सेब उत्पादकों के लिए सार्टिंग–ग्रेडिंग एवं पैंकिग सुविधाओं का विकास करना।

5.2. <u>Control Atmosphere Cold Storage (CA Storage)</u> :

तुड़ाई उपरान्त सेब को 06 से 09 माह तक भण्डारण हेतु रखा जायेगा तथा जिन माहों में सेब का उत्पादन नहीं होता है तथा बाजार मॉग अधिक रहती है, उस समय कृषकों के उक्त भण्डारित सेब को विक्रय कर कृषकों को अधिक मूल्य उपलब्ध कराना।

5.3. <u>रोपवे</u> :

सड़क मार्ग से दूर/दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के सेब बागानों में खाद, बीज आदि ले जाने हेतु एवं उत्पादित फसलों के परिवहन सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत रोपवे निर्माण करना।

6. मानक :

योजनान्तर्गत 1,000 मि0 टन सेब उत्पादन क्षेत्रफल में 01 सार्टिंग–ग्रेडिंग इकाई, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 700 बाक्स (एक बाक्स 20 कि0ग्रा0) की हो। 5,000 मि0 टन सेब उत्पादन क्षेत्र में एक सी0ए0 स्टोरेज (1,000 मि0 टन क्षमता) तथा 600 मि0 टन सेब उत्पादन क्षेत्रफल में 01 रोपवे स्थापित किया जाना है।

7. लक्ष्य :

(रू0 लाख में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य				कुल	राज सहायता			
	सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई (सं0)	सी0ए0 स्टोरेज (सं0)	रोपवे (किमी0)	कुल	अनुमन्य लागत	सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई (सं0)	सी0ए0 स्टोरेज (सं0)	रोपवे (किमी0)	कुल
2025-26	15	2	5	22	2725.00	91.25	960.00	74.10	1125.35
2026-27	15	2	10	27	2725.00	96.25	960.00	145.20	1201.45
2027-28	20	2	10	32	2850.00	300.00	960.00	145.20	1405.20
2028-29	25	4	15	44	4700.00	377.50	1920.00	219.30	2516.80
2029-30	30	4	15	49	5075.00	450.00	1920.00	219.30	2589.30
2030-31	35	4	20	59	5575.00	522.50	1920.00	290.40	2732.90
2031-32	40	4	25	69	5950.00	600.00	1920.00	364.50	2884.50
कुल योग	**180**	**22**	**100**	**302**	**29600.00**	**2437.50**	**10560.00**	**1458.00**	**14455.50**

7.1. <u>सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई</u> :

(रू0 लाख में)

वर्ष	सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई							
	भौतिक लक्ष्य (सं0)			कुल	राज सहायता			
	व्यक्तिगत,	FPOs, FPCs, SHGs,	कुल	अनुमन्य	व्यक्तिगत, पंजीकृत	FPOs, FPCs, SHGs,	कुल	अभ्युक्ति

	पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु	Cooperatives, Community Based Institution हेतु		लागत रू0 25.00 लाख/ इकाई	फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु (50%)	Cooperatives, Community Based Institution हेतु (70%)		
2025-26	8	7	15	375.00	30.00	61.25	91.25	वर्ष 2025–26 में PMFME योजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों हेतु व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों को 35% एवं CMFME योजना से टॉप–अप के रूप में 15% अर्थात कुल 50% राज सहायता तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution को 35% एवं CMFME योजना से टॉप–अप के रूप में 35% अर्थात कुल 70% राज सहायता दिया जाएगा। वर्ष 2026–27 से इस नीति के अंतर्गत प्राविधानित बजट से राज सहायता प्रदान की जाएगी।
2026-27	7	8	15	375.00	26.25	70.00	96.25	
2027-28	10	10	20	500.00	125.00	175.00	300.00	
2028-29	12	13	25	625.00	150.00	227.50	377.50	
2029-30	15	15	30	750.00	187.50	262.50	450.00	
2030-31	18	17	35	875.00	225.00	297.50	522.50	
2031-32	20	20	40	1000.00	250.00	350.00	600.00	
कुल योग	**90**	**90**	**180**	**4500.00**	**993.75**	**1443.75**	**2437.50**	

7.2. <u>सी0ए0 स्टोरेज</u> :

(रू0 लाख में)

वर्ष	सी0ए0 स्टोरेज						
	भौतिक लक्ष्य (सं0)			कुल अनुमन्य लागत रू0 800 लाख/ इकाई	राज सहायता		
	व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु	कुल		व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु (50%)	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु (70%)	कुल
2025-26	1	1	2	1600.00	400.00	560.00	960.00
2026-27	1	1	2	1600.00	400.00	560.00	960.00
2027-28	1	1	2	1600.00	400.00	560.00	960.00
2028-29	2	2	4	3200.00	800.00	1120.00	1920.00
2029-30	2	2	4	3200.00	800.00	1120.00	1920.00
2030-31	2	2	4	3200.00	800.00	1120.00	1920.00
2031-32	2	2	4	3200.00	800.00	1120.00	1920.00
कुल योग	**11**	**11**	**22**	**17600.00**	**4400.00**	**6160.00**	**10560.00**

7.3. <u>रोपवे निर्माण</u> :

(रू0 लाख में)

वर्ष	ग्रेविटी रोपवे						
	भौतिक लक्ष्य (किमी0)			कुल अनुमन्य लागत रू0 19.00 लाख / किमी0	राज सहायता		
	व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनर शिप फर्मों हेतु	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु	कुल		व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनर शिप फर्मों हेतु (50%)	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु (70%)	कुल
2025-26	0	2	2	38.00	0.00	26.60	26.60
2026-27	1	4	5	95.00	9.50	53.20	62.70
2027-28	1	4	5	95.00	9.50	53.20	62.70
2028-29	1	6	7	133.00	9.50	79.80	89.30
2029-30	1	6	7	133.00	9.50	79.80	89.30
2030-31	2	8	10	190.00	19.00	106.40	125.40
2031-32	2	10	12	228.00	19.00	133.00	152.00
कुल योग	**8**	**40**	**48**	**912.00**	**76.00**	**532.00**	**608.00**

वर्ष	मैकेनिकल रोपवे						
	भौतिक लक्ष्य (किमी0)			कुल अनुमन्य लागत रू0 25.00 लाख / किमी0	राज सहायता		
	व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनर शिप फर्मों हेतु	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु	कुल		व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनर शिप फर्मों हेतु (50%)	FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु (70%)	कुल
2025-26	1	2	3	75.00	12.50	35.00	47.50
2026-27	1	4	5	125.00	12.50	70.00	82.50
2027-28	1	4	5	125.00	12.50	70.00	82.50
2028-29	2	6	8	200.00	25.00	105.00	130.00
2029-30	2	6	8	200.00	25.00	105.00	130.00
2030-31	2	8	10	250.00	25.00	140.00	165.00
2031-32	3	10	13	325.00	37.50	175.00	212.50
कुल योग	**12**	**40**	**52**	**1300.00**	**150.00**	**700.00**	**850.00**

8. <u>पात्रता</u> :

8.1. सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई की स्थापना हेतु आवेदक की स्वयं की भूमि हो अथवा न्यूनतम 15 वर्षों हेतु रजिस्ट्रर्ड लीज पर ली गई हो, जिसमें व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म एवं पार्टनरशिप फर्मों तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community based institution आवेदन हेतु पात्र होंगे। सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई की स्थापना हेतु केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) की मार्ग निर्देशिकानुसार निर्धारित समस्त अर्हताएँ पूर्ण की जानी आवश्यक होंगी।

8.2. Control Atmosphere Cold Storage (CA Storage) हेतु आवेदक की स्वयं की भूमि हो अथवा न्यूनतम 30 वर्षों हेतु लीज पर ली गई हो, जिसमें व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म एवं पार्टनरशिप फर्मों तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आवेदन हेतु पात्र होंगे। राज सहायता केडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड सब्सिडी ऋण आधारित होगी।

8.3. सामग्री/उत्पाद ढुलान के लिए रोपवे हेतु व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म एवं पार्टनरशिप फर्मों तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आवेदन हेतु पात्र होंगे। रोपवे स्थापना हेतु आवेदनकर्त्ता को सक्षम स्तर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.4. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं को क्लस्टर/वैली की अवधारणा को अपनाते हुए, क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे औद्यानिक फसलों के कृषिकरण एवं उत्पादों के विपणन में सुगमता एवं सरलता हो सके, इसलिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ–साथ समूहों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे क्लस्टर/ वैली की अवधारणा को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

8.5. यदि कोई राजकीय विभाग सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई, सी0ए0 स्टोरेज अथवा सामग्री/उत्पाद ढुलान के लिए रोपवे की स्थापना करना चाहता है, तो सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय बजट में सुसंगत मद में इस हेतु प्राविधान कर सकेगा, जिससे इन सुविधाओं का किसानों के हित में वह विभाग स्थापना कर सके।

9. <u>राज सहायता</u> :

सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई स्थापित करने में रू0 25.00 लाख का व्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म एवं पार्टनरशिप फर्मों हेतु 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 12.50 लाख तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आदि हेतु 70 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 17.50 लाख की सहायता प्रदान की जानी है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म एवं पार्टनरशिप फर्मों आवेदकों हेतु 35 प्रतिशत PMFME योजनान्तर्गत एवं 15 प्रतिशत राज्य योजना से टॉप–अप द्वारा तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आदि हेतु 35 प्रतिशत PMFME योजनान्तर्गत एवं 35 प्रतिशत राज्य योजना से टॉप–अप द्वारा दिया जाएगा। PMFME एवं CMFME योजना के संचालन की अवधि समाप्ति उपरांत, इस नीति के अंतर्गत प्राविधानित बजट से राज सहायता का भुगतान किया जाएगा।

9.1 सी0ए0 स्टोरेज (एक इकाई : 1000 मि0 टन) स्थापित करने में रू0 800.00 लाख व्यय अनुमानित है [वातावरण नियन्त्रण करने वाली इकाई हेतु रू0 40,000/मि0 टन एवं वातावरण नियन्त्रण करने वाली इकाई के साथ–साथ वातावरण नियंत्रण तकनीकी उपकरणों (बागवानी मिशन की अद्यतन मार्ग निर्देशिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार) की व्यवस्था हेतु रू0 40,000/मि0 टन अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित है] अर्थात अधिकतम रू0 80,000/मि0 टन (अधिकतम क्षमता, एक इकाई : 1,000 मि0 टन) अथवा कुल रू0 800.00 लाख में से जो भी न्यून हो, के अनुसार राज सहायता दिया जाना है।

व्यक्तिगत क्षेत्रों, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु कुल 50 प्रतिशत अर्थात

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section 3-SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM

अधिकतम कुल रू0 400.00 लाख राज सहायता दिया जाना है एवं FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आदि हेतु 70 प्रतिशत अर्थात रू0 560.00 लाख राज सहायता प्रदान किया जाना है।

उक्त अवस्थापना सुविधाओं हेतु केन्द्रपोषित बागवानी मिशन की मार्ग निर्देशिका में निर्धारित तकनीकी मानक ही अनुमन्य होंगे।

9.2 रोपवे निर्माण (राज्य–सेक्टर की नई योजना) हेतु पृथक से कार्यवाही की जायेगी। उक्त की स्वीकृति के उपरान्त राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की योजना (राज्य–सेक्टर) के घटक (रोपवे निर्माण) के अनुसार योजना का कियान्वयन किया जायेगा। 48 ग्रेविटी तथा 52 मैकेनिकल रोपवे निर्माण (कुल 100) हेतु रू0 1458.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

10. <u>वित्तीय प्राविधान</u> :

राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की 07 वर्षों की योजना (राज्य–सेक्टर) (वर्ष 2025–26 से 2031–32) हेतु में राज्य–सेक्टर से रू0 144.555 करोड़ व्यय प्राविधानित है।

11. <u>कियान्वयन–प्रकिया</u> :

11.1. <u>वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण</u> :

क. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास खण्डवार गत वर्षों के उत्पादन ऑकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

ख. विकास खण्डवार प्रस्तावित लक्ष्यों का अन्तिमीकरण सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा किया जायेगा।

12. <u>आवेदन एवं चयन</u> :

12.1 योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी किये जाने के उपरान्त, आवेदक परियोजना की DPR, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र (केवल सी0ए0 स्टोर हेतु अनिवार्य) के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। पात्र आवेदक, पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर वर्षवार एवं क्लस्टरवार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभान्वित होंगे।

12.2 राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त, प्रबन्धन की योजना (राज्य–सेक्टर) हेतु प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनों की निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन उपरांत, स्वीकृति हेतु सेब की अति सघन बागवानी योजना अंतर्गत गठित उच्चाधिकार समिति (HPC) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

12.3 योजना, प्रस्ताव आधारित (Project Based) होगी। लक्ष्य को आवश्यकतानुसार HPC की पूर्वानुमति से घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section - SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM

13. राज सहायता का भुगतान :

13.1 सी0ए0 स्टोर की राज सहायता का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में किया जायेगा तथा सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई एवं रोपवे निर्माण की राज सहायता का भुगतान लाभार्थी को DBT/E-RUPI/ CBDC के माध्यम से किया जायेगा।

13.2 लाभार्थियों को राज सहायता का भुगतान DBT/E-RUPI/CBDC के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

13.3 सी0ए0 स्टोर की राज सहायता का तीन (03) किश्तों (50%, 30% एवं 20% का अनुपात) में भुगतान किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान, अनुमन्य सिविल कार्य एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की सन्तोषजनक निरीक्षण आख्या के उपरान्त किया जायेगा। द्वितीय किश्त का भुगतान वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने के पश्चात एवं संयुक्त निरीक्षण दल की सन्तोषजनक निरीक्षण आख्या के पश्चात किया जायेगा। तृतीय किश्त की धनराशि का भुगतान सी0ए0 स्टोरेज की पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य किये जाने एवं संयुक्त निरीक्षण दल की सन्तोषजनक निरीक्षण आख्या के पश्चात की जायेगी।

13.4 सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाई एवं रोपवे की राज सहायता का भुगतान 02 किस्तों (50% एवं 50% का अनुपात) में किया जायेगा। अनुमन्य सिविल कार्य एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की सन्तोषजनक निरीक्षण आख्या के उपरान्त प्रथम किश्त की धनराशि तथा वाणिज्यिक गतिविधियॉ/ संचालन प्रारम्भ करने के पश्चात एवं संयुक्त निरीक्षण दल की सन्तोषजनक निरीक्षण आख्या के उपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

13.5 इस योजनान्तर्गत प्रस्ताव, कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अन्तर्गत ब्याज पर प्रदत्त उपादान (राज सहायता) हेतु भी, अनुमन्य (Eligible) होंगे।

14. संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल :

इसका गठन निम्नवत् प्रकार किया जायेगाः–

1.	मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ	– अध्यक्ष
2.	इकाई हेतु ऋणदाता बैंक के अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, जिला मुख्यालय	– सदस्य

15. योजना का मूल्यांकन :

योजना का मूल्यांकन थर्ड पार्टी के माध्यम से प्रथम मूल्यांकन तीसरे वर्ष एवं द्वितीय मूल्यांकन पॉचवे वर्ष में किया जायेगा। योजना के सफल पाये जाने की स्थिति में इसका क्रियान्वयन आगामी वर्षों हेतु किया जायेगा।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section I SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM

16. <u>प्रशिक्षण/भ्रमण</u> :

कृषक/सेब बागवान/लाभार्थी शासनादेश संख्याः 1/156716/XIII–3/23/10(10)/2023, दिनॉकः 25.09.2023 के अनुसार सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम हेतु पात्र होंगे।

17. <u>संचालन एवं रखरखाव</u> :

व्यक्तिगत क्षेत्रों, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution के आवेदकों द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई, CA स्टोरेज, रोपवे का संचालन एवं रखरखाव स्वयं के द्वारा वहन किया जायेगा।

राजकीय क्षेत्र की संस्थाएँ योजनान्तर्गत स्थापित सोर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई, CA स्टोरेज, रोपवे का संचालन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन करने अथवा किसी अन्य संस्था के साथ अनुबन्ध कर संचालन एवं रखरखाव हेतु स्वतन्त्र होंगी

18. <u>संशोधन</u> :

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए सेब की अतिसघन बागवानी योजना अंतर्गत गठित HPC अधिकृत होगी।

19. <u>समिति</u> :

सेब की अतिसघन बागवानी योजना में अनुश्रवण, समीक्षा, मूल्यांकन एवं निर्णय इत्यादि हेतु विभिन्न स्तरों के लिए, गठित समितियां, इस योजना के लिए भी प्राधिकृत होंगी।

20. <u>प्रकीर्ण</u> :

20.1. <u>निरसन</u> :

तत्संबंध में पूर्व प्रचलित कोई योजना (यदि कोई हो), इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

परन्तु, उक्त योजना के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान, उसके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

20.2. <u>लाभ–दुहराव की रोकथाम</u> :

तत्संबंध में पूर्व प्रचलित किसी योजना (यदि कोई हो), के अंतर्गत, जिन कृषकों अथवा समूहों को, यदि कोई लाभ प्राप्त हो चुका है, तो उसे पुनः वह लाभ, इस योजना के अंतर्गत देय नहीं होगा, परन्तु, इस योजना के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे।

20.3. <u>वसूली एवं पेनाल्टी</u> :

क. जो कोई कृषक अथवा समूह, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एवं आदानों (Inputs) का दुरूपयोग करेगा, उस सम्पूर्ण धनराशि की वसूली, उससे की जायेगी।

ख. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि के बराबर ही पेनाल्टी अतिरिक्त रूप से आरोपित की जायेगी।

ग. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि एवं पेनाल्टी की धनराशि की वसूली, भू–राजस्व की वसूली की भाँति की जायेगी।

घ. डिफॉल्टर कृषक अथवा समूह, भविष्य में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों हेतु अनर्ह घोषित हो जायेगा।

ङ. वसूली एवं पेनाल्टी के सम्बन्ध में आदेश निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के स्तर से जारी किया जायेगा।

च. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के आदेश के विरूद्ध अपील, महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान को की जा सकती है। अपील में पारित आदेश, अन्तिम होगा।

महिमा रौंकली
संयुक्त सचिव।

File No. AFW3-MISC/1/30/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54879)
Generated from eOffice by SANJAY KOTWAL, ARO-Agriculture Section 3-SK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 02/05/2025 12:32 PM